पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

No.: 32979 **Date:** 14/08/2026

"NOTICE FOR WALK-IN-AUCTION"
For different shops on Rent/Lease Basis

Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar invites Walk-In-Auction for ten difference shops, Bank Branch & Post Office under Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 & Rules, 2013 on Rent/Lease basis for three years from experienced, technically and financially sound & reputed bidders fulfilling eligibility criteria through Walk-In-Auction system as described in the bid document as appended below:-

Shop No.	Name of goods/services	Area (in mm)	Minimum Bidding Cost/Rent	Bid Security (2%)
1	Dairy Products	5620X3670	Rs. 3968/-	Rs. 952/-
2	Barber Shop	5620X3670	Rs. 3968/-	Rs. 952/-
3	General Store (Kirana Shop)	5620X3670	Rs. 3968/-	Rs. 952/-
4	Cosmetic Items	3670X3670	Rs. 2629/-	Rs. 631/-
5	E-mitra	3670X3670	Rs. 2629/-	Rs. 631/-
6	Laundary	3670X3670	Rs. 2629/-	Rs. 631/-
7	Cloths Shop	3670X3670	Rs. 2629/-	Rs. 631/-
8	Stationery Shop	5620X3670	Rs. 3968/-	Rs. 952/-
9	Fast Food Shop	5620X3670	Rs. 3968/-	Rs. 952/-
10	Fruits & Vegitables Shop	5620X3670	Rs. 3968/-	Rs. 952/-
	Bank Branch	11470X11470	Rs. 30,000/-	Rs. 7200/-
	Post Office	11470X3670	Rs. 10,000/-	Rs. 2400/-

Note: Cash/Demand Draft for tender fees Rs. 500/- will be paid in favour of Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.

Important dates for downloading and submitting the tender are as follows:-

Date and time of downloading of bid document from Universtiy website	14/08/26 (11.00 AM) to 18/08/26 (11:00 PM)
Date and time of submission of bid	14/08/26 (11.00 AM) to 18/08/26 (12:00 PM)
Last date of physical submission of Bid Security, Tender fee	18/08/26 (01:00 PM)
Date and time of opening of the Technical Bid	18/08/26 (02:00PM)
Date and time of Walk-In-Auction in the office of Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar	To be informed separately to the technically qualified bidders

Registrar
P.D.U.S.U., Sikar

निविदा संख्याः 02 / 2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 01 (Dairy Products Shop)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 5620X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि / किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये / लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी / लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. FSSAI से लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
5. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
6. विक्रेता डेयरी प्रोडक्ट के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
7. विक्रेता किसी भी सामग्री को एमआरपी रेट से अधिक पर विक्रय नहीं करेगा।
8. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
9. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी / लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
10. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
11. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
12. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
13. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
14. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
15. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
16. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
17. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
18. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा एवं प्राकृतिक / अप्राकृतिक हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।

19. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।
20. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
21. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
22. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
23. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
24. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
25. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
26. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
27. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
28. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 10 (Fruits & Vegitables Shop)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 5620X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. FSSAI से लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
5. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
6. विक्रेता डेयरी प्रोडक्ट के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
7. विक्रेता किसी भी सामग्री को बाजार में प्रचलित दरों के आधार पर ही विक्रय करेगा।
8. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
9. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
10. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
11. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
12. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
13. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सुपुर्द करना होगा।
14. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
15. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
16. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
17. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
18. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।

19. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।
20. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
21. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
22. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
23. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
24. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
25. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
26. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
27. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
28. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 09 (Fast Food Shop)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 5620X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. FSSAI से लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
5. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
6. विक्रेता डेयरी प्रोडक्ट के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
7. विक्रेता किसी भी सामग्री को बाजार में प्रचलित दरों के आधार पर ही विक्रय करेगा।
8. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
9. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
10. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
11. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
12. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
13. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
14. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
15. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
16. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
17. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
18. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।

19. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।
20. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
21. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
22. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
23. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
24. कार्यआदेश के सात दिवस के पश्चात किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
25. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
26. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
27. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
28. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव

पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 02 (Barber Shop)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 5620X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
5. विक्रेता द्वारा बाजार में प्रचलित दरों के आधार पर दरें निर्धारित करी जायेगी, जिसको दुकान पर चश्पा किया जायेगा।
6. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
7. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
8. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
9. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
10. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
11. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
12. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
13. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
14. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
15. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
16. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
17. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।

18. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
19. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
20. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
21. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
22. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
23. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
24. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
25. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
26. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 03 (General Store (Kirana Shop))**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 5620X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. FSSAI से लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
5. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
6. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
7. विक्रेता किसी भी सामग्री को एमआरपी रेट से अधिक पर विक्रय नहीं किया जायेगा।
8. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
9. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
10. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
11. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
12. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
13. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
14. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
15. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
16. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
17. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
18. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्चा करेगा।

19. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
20. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
21. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
22. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
23. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
24. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
25. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
26. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
27. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नाम: ....

पता: ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव

पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 04 (Cosmetic Item)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 3670X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
5. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
6. स्कीन से सम्बन्धित प्रोडेक्टस में स्वास्थ्य से जुड़े मापदण्डों का पालन करने वाले प्रोडेक्टस का ही विक्रय करेगा।
7. विक्रेता किसी भी सामग्री को एमआरपी रेट से अधिक पर विक्रय नहीं किया जायेगा।
8. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
9. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
10. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
11. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
12. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
13. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
14. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
15. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
16. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
17. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगान, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।

18. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।
19. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
20. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
21. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
22. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
23. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
24. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
25. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
26. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
27. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

निविदा संख्या: 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 05 (Emitra)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 3670X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
4. विक्रेता के पास ईमित्र संचालन से सम्बन्धित लाइसेंस होना अनिवार्य रहेगा।
5. विक्रेता के पास जीएसटी होना अनिवार्य रहेगा।
6. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
7. विक्रेता किसी भी सामग्री को बाजार में प्रचलित दरों एवं एमआरपी रेट से अधिक पर विक्रय नहीं किया जायेगा।
8. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
9. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
10. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
11. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
12. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
13. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
14. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
15. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
16. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
17. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।

18. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।
19. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
20. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
21. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
22. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
23. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
24. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
25. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
26. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
27. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदादाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईटः www.shekhauni.ac.in ई–मेलः registrar@shekhauni.ac.in

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 06 (Laundary)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 3670X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेंः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
4. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
5. विक्रेता किसी भी सामग्री को बाजार में प्रचलित दरों से अधिक पर विक्रय नहीं किया जायेगा।
6. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
8. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
9. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
10. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सुपुर्द करना होगा।
11. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
12. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
13. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
14. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
15. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
16. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।
17. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।

18. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
19. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
20. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
21. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
22. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
23. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
24. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
25. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव

पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 07 (Cloths Shop)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 3670X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
4. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
5. विक्रेता किसी भी सामग्री को बाजार में प्रचलित दरों एवं एमआरपी से अधिक पर विक्रय नहीं किया जायेगा।
6. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
8. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
9. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
10. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
11. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तो पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
12. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
13. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
14. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
15. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
16. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।

17. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
18. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
19. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
20. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
21. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
22. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
23. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
24. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
25. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **दुकान संख्या 08 (Stationary Shop)**

किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 5620X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह दुकान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. दुकान का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर की दुकान किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. दुकान सब–लेट नहीं की जा सकेगी।
2. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
3. बिजनस रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
4. विक्रेता द्वारा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
5. विक्रेता किसी भी सामग्री को बाजार में प्रचलित दरों एवं एमआरपी से अधिक पर विक्रय नहीं किया जायेगा।
6. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये किरायेदार को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
8. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
9. किसी भी निविदादाता द्वारा एक आवेदन में एक ही दुकान का विवरण दर्ज किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा इस हेतु पृथक–पृथक शुल्क एवं अमानत शुल्क जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।
10. किरायदारी समाप्ति पर दुकान की सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
11. आपसी सहमति के आधार पर किरायदारी समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तों पर किरायेदारी को पुनः 01 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा। दुकान में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य आवश्क हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।
12. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
13. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
14. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
15. दुकान की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
16. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। दुकार के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।

17. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
18. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
19. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
20. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का विक्रय/लेन–देन नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
21. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
22. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
23. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में माननीय कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
24. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
25. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

निविदा संख्या: 02 / 2026–27

कार्य का नामः– **विश्वविद्यालय परिसर में बैंक शाखा एवं एटीएम संचालन हेतु भवन (Place for running Bank and ATM in the University Campus) किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 11470X11470 mm**

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. भवन का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि / किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर के भवन किराये / लीज पर देने हेतु शर्तें:–

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित अनुसूचित सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बैंक बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
2. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भवन में एटीएम की सुविधा 24 / 7 प्रदान किया जाना अनिवार्य रहेगा।
3. बैंक के संचालन का समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय के अनुसार रहेगा।
4. बोलीदाता बैंक के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वैध लाइसेंस (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक या निजी क्षेत्र) होना अनिवार्य रहेगा।
5. सफल बोलीदाता बैंक लोकर रूम, बैंक भवन व एटीएम की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, इसकी सुरक्षा हेतु उसे अपने स्तर पर सुरक्षाकर्मी लगाना अनिवार्य रहेगा। परिसर में स्थित बैंक भवन में किसी भी प्रकार की चोरी, मार–पीट या कोई अन्य अप्रिय घटना घटित होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बैंक की होगी। इस हेतु जो कि कार्यवाही की जायेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक ही जिम्मेदारी / भागीदार होगा।
6. भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का सफल परिचालन अनुभव होना अनिवार्य रहेगा।
7. सफल बोलीदाता के पास पैन, जीएसटी इत्यादि प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रहेगा।
8. बैंक द्वारा दैनिक बैंक सुविधाऐं, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाऐं जैसे शिक्षा ऋण, शुल्क संग्रह प्रणाली, जीरों बैलेंस खाता, 24 / 7 एटीएम सुविधा प्रदान किया जाना अनिवार्य रहेगा।
9. बोली प्रक्रिया में सिर्फ वहीं बैंक शामिल होंगे जो, आरबीआई, भारत सरकार या किसी राज्य / केन्द्रीय स्वायत्त संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं हो।
10. आवंटित भवन का उपयोग केवल वाणिज्यिक बैंक शाखा और एटीएम संचालन हेतु ही किया जायेगा। किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
11. सफल बोलीदाता भवन सब–लेट नहीं कर सकेगी।
12. किरायेदारी / लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
13. सफल बोलीदाता द्वारा भवन की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
14. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी / लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
15. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये बोलीदाता को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
16. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
17. किरायदारी समाप्ति पर भवन सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
18. आपसी सहमति के आधार पर किरायेदारी / लीज समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तो पर किरायेदारी / लीज को पुनः नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा।
19. भवन में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई आंतरिक साज–सज्जा, काउंटर, विभाजन, मरम्मत से सम्बन्धित कार्य करवाना आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।

20. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
21. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
22. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर–फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़–फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
23. भवन की देख–रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
24. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। भवन के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।
25. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
26. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
27. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
28. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
29. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
30. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
31. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
32. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
33. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नं ....

ई–मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

निविदा संख्याः 02/2026–27

कार्य का नामः– **विश्वविद्यालय परिसर में पोस्ट ऑफिस एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के संचालन हेतु भवन**
(Place for running Post Office & IPPB in the University Campus)
किराये/लीज हेतु भवन का भू तल क्षेत्रफल 11470X3670 mm

निविदादाता का नामः– ....

परिसर का विवरणः–

1. यह भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में नव निर्मित छात्र सुविधा केंद्र भवन में स्थित है।
2. भवन का नक्शा संलग्न है।
3. ऑक्शन हेतु जारी सूचना में वर्णित न्यूनतम ऑक्शन बोली राशि/किराये से शुरू की जायेगी।

परिसर के भवन किराये/लीज पर देने हेतु शर्तेः–

1. भारतीय डाक विभाग के अधिकृत संभागीय/मंडलीय कार्यालय या भारतीय डाक विभाग के प्रतिनिधियों/फ्रैंचाइजी ऑपरेटर बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
2. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भवन में भारतीय डाक विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा प्रदान किया जाना अनिवार्य रहेगा।
3. बोलीदाता द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
4. सफल बोलीदाता पोस्ट ऑफिस की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, इसकी सुरक्षा हेतु उसे अपने स्तर पर सुरक्षाकर्मी लगाना अनिवार्य रहेगा। परिसर में स्थित पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार की चोरी, मार–पीट या कोई अन्य अप्रिय घटना घटित होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं पोस्ट ऑफिस संचालक की होगी। इस हेतु जो भी कार्यवाही की जायेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी।
5. सफल बोलीदाता द्वारा पोस्ट ऑफिस एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में निम्ननिखित सुविधाऐं प्रदान किया जाना अनिवार्य रहेगाः
    1. स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, पार्सल एवं साधारण डाक बुकिंग, डाक टिकटों की बिक्री।
    2. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आधारित आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और डिजिटल बैंकिग काउंटर।
    3. मनी ऑर्डर एवं मनी ट्रांसफर सुविधाएं।
6. सफल बोलीदाता को कम से कम 5 वर्ष का सफल परिचालन अनुभव होना अनिवार्य रहेगा।
7. सफल बोलीदाता के पास डाक विभाग का लाइसेंस/प्राधिकरण पत्र या विभागीय सहमति पत्र होना अनिवार्य रहेगा।
8. सफल बोलीदाता के पास पैन, जीएसटी इत्यादि प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रहेगा।
9. बोली प्रक्रिया में सिर्फ वहीं शामिल होंगे जो, भारतीय डाक विभाग, भारत सरकार या किसी राज्य/केन्द्रीय स्वायत्त संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं हो।
10. आवंटित भवन पोस्ट ऑफिस से संबंधित कार्यों के संचालन हेतु ही किया जायेगा। किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
11. सफल बोलीदाता भवन सब–लेट नहीं कर सकेगी।
12. किरायेदारी/लीज की अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।
13. सफल बोलीदाता द्वारा भवन की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
14. तीन वर्ष समाप्त होते ही किरायेदारी/लीज स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
15. किराया प्रतिमाह अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करवाना होगा। ऑक्शन में सफल पाये गये बोलीदाता को कार्यआदेश प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा, जो कि लीज अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।
16. किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि की बढोतरी की जावेगी।
17. किरायदारी समाप्ति पर भवन सही हालत में कब्जा पुनः विश्वविद्यालय को सूपुर्द करना होगा।
18. आपसी सहमति के आधार पर किरायेदारी/लीज समाप्ति के तीन माह पुर्व संशोधित शर्तो पर किरायेदारी/लीज को पुनः नवीकृत किया जा सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा।
19. भवन में किरायेदार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि कोई आंतरिक साज–सज्जा, काउंटर, विभाजन, मरम्मत से सम्बन्धित कार्य करवाना आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त कर किरायेदार अपनी लागत पर करवा सकेगा।

20. परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा एक सबमीटर लगाया जाएगा। उसके उपयोग के आधार पर किरायेदार को प्रतिमाह भुगतान लेखा शाखा में जमा कराना होगा। किरायेदार प्रथम पक्षकार द्वारा प्रदत्त विद्युत सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहे तो लिखित में सूचित करेगा व फिर अपने नाम व खर्चे पर अलग कनेक्शन ले सकेगा, इस हेतु प्रथम पक्षकार उसे वांछित सुविधा प्रदान करेगा।
21. पानी कनेक्शन प्रथम पक्षकार के द्वारा दिया जायेगा परन्तु पानी कि कमी होने पर किरायेदार को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
22. किरायेदार व्यवसाय के संचालन हेतु अस्थाई किस्म के फर्नीचर-फिक्सचर आदि लगाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसर में कोई मामूली तोड़-फोड़ करनी आवश्यक हो तो उसे विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से कर सकेगा। जिसे भवन खाली करने पर पुनः मूल हालत में अनिवार्य रूप से सौपना होगा।
23. भवन की देख-रेख, सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेस व सुरक्षा हेतु किरायेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
24. किरायेदार परिसर पर राजकीय या स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित होने वाले समस्त करों, शुल्कों की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, जो किराये के अतिरिक्त रहेगा। भवन के समुचित बीमा से सम्बन्धित समस्त व्यय किरायेदार अपने स्वयं के स्तर पर खर्च करेगा।
25. परिसर की छत किरायदारी में सम्मिलित नहीं है व उसके उपयोग का विश्वविद्यालय को निर्बाध अधिकार होगा।
26. उक्त किसी भी दुकान के किरायेदार अथवा उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की अन्य किसी सम्पत्ति के हित के विपरीत कोई कार्य करता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय उसकी किरायेदारी को भंग कर दुकान का कब्जा अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत रहेगा।
27. नियत अवधि के पूर्व यदि किरायेदार किरायेदारी को समाप्त कर अपने दायित्व से निवृत होना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर अचानक दुकान त्याग देने पर किरायेदार द्वारा जमा तीन माह का अग्रिम किराया विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उसे वापिस प्राप्त करने का अधिकार किरायेदार के पास नहीं रहेगा।
28. किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी, असामाजिक, नशीले पदार्थों इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
29. कार्यआदेश के सात दिवस के भीतर किराया नामा 500 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिसके पंजीयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय किरायेदार को वहन करना होगा।
30. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय रहेगा।
31. उक्त कार्यों के सम्बन्ध में कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय किरायेदार के लिए बाध्यकारी रहेगा।
32. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की दरों को अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
33. निविदादाता द्वारा इस निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना करना अनिवार्य रहेगा तथा आवेदक द्वारा सभी पृष्ठों पर अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाना अनिवार्य रहेगा।

निविदाता का नामः ....

पताः ....

....

मोबाईल नं ....

ई-मेल ....

पेन नं. ....

जीएसटी नं. ....

कुलसचिव
पं.दी.उ.शे.वि, सीकर